न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 136/2004

1 नागरमल पुत्र हनुमान।
2 प्रहलाद पुत्र हनुमान।
3 मोहनलाल पुत्र हनुमान।
3/1 संतोष देवी पत्नी मोहनलाल।
3/2 श्रवण पुत्र मोहनलाल।
3/3 अरविन्द पुत्र मोहनलाल समस्त जाति माली निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3/4 सुनिता पत्नी हजारीलाल।
3/5 अन्जू पत्नी शिवराम पुत्री मोहनलाल समस्त जाति माली निवासीगण गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 हीरालाल पुत्र हनुमान।
5 बिहारीलाल पुत्र हनुमान।
6 पप्पू पुत्र हनुमान।
7 रामसिंह पुत्र हनुमान समस्त जाति माली निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रूघाराम पुत्र बोदिया।
2 सन्तरा पत्नी बाबुलाल।
3 नौरंग पुत्र बाबुलाल।
4 गजानन्द पुत्र बाबुलाल।
5 रामोतार पुत्र ज्यानकीलाल।
5/1 मुन्नी पत्नी रामोतार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

5/2 जगदीश पुत्र रामोतार।
5/3 राजू पुत्र रामोतार।
5/4 अशोक पुत्र रामोतार।
5/5 सुभाष पुत्र रामोतार।
5/6 मु. सरोज पुत्री रामोतार।
5/7 ललिता पुत्री रामोतार।
6 द्वारका प्रसाद पुत्र ज्यानकीलाल।
7 सीताराम पुत्र ज्यानकीलाल।
8 जुगल पुत्र ज्यानकीलाल।
9 हरिराम पुत्र ज्यानकीलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 मांगूराम पुत्र झुंथाराम।
11 जड़ावली बेवा गोरधन समस्त जाति पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
12 कानी पुत्री बोदिया पत्नी कानाराम जाति हरिजन निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 गोठी पुत्री बोदिया पत्नी भगवानाराम जाति हरिजन निवासी डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
14 भानी पुत्री बोदिया पत्नी चौथूराम जाति हरिजन निवासी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
15 मीरा पुत्री बोदिया पत्नी बनवारीलाल जाति हरिजन निवासी नीमकाथाना जिला सीकर।
16 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी रूघाराम बनाम मनकोरी वगैरह दावा घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 86/1997 तारीख निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.1998

अपील संख्या 137/2004

1 नागरमल पुत्र हनुमान।
2 प्रहलाद पुत्र हनुमान।
3 मोहनलाल पुत्र हनुमान।
3/1 संतोष देवी पत्नी मोहनलाल।
3/2 श्रवण पुत्र मोहनलाल।
3/3 अरविन्द पुत्र मोहनलाल समस्त जाति माली निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3/4 सुनिता पत्नी हजारीलाल।
3/5 अन्जू पत्नी शिवराम पुत्री मोहनलाल समस्त जाति माली निवासीगण गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 हीरालाल पुत्र हनुमान।
5 बिहारीलाल पुत्र हनुमान।
6 पप्पू पुत्र हनुमान।
7 रामसिंह पुत्र हनुमान समस्त जाति माली निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1 रूघाराम पुत्र बोदिया।
2 सन्तरा पत्नी बाबुलाल।
3 नौंरग पुत्र बाबुलाल।
4 गजानन्द पुत्र बाबुलाल।
5 रामोतार पुत्र ज्यानकीलाल।
5/1 मुन्नी पत्नी रामोतार।
5/2 जगदीश पुत्र रामोतार।
5/3 राजू पुत्र रामोतार।
5/4 अशोक पुत्र रामोतार।
5/5 सुभाष पुत्र रामोतार।
5/6 मु. सरोज पुत्री रामोतार।
5/7 ललिता पुत्री रामोतार।
6 द्वारका प्रसाद पुत्र ज्यानकीलाल।
7 सीताराम पुत्र ज्यानकीलाल।
8 जुगल पुत्र ज्यानकीलाल।
9 हरिराम पुत्र ज्यानकीलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 मांगूराम पुत्र झुंथाराम।
11 जड़ावली बेवा गोरधन समस्त जाति पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
12 कानी पुत्री बोदिया पत्नी कानाराम जाति हरिजन निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 गोठी पुत्री बोदिया पत्नी भगवानाराम जाति हरिजन निवासी डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
14 भानी पुत्री बोदिया पत्नी चौथूराम जाति हरिजन निवासी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

5

15 मीरा पुत्री बोदिया पत्नी बनवारीलाल जाति हरिजन निवासी नीमकाथाना जिला सीकर।
16 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी मांगुराम बनाम जड़ावली वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा मुकदमा नम्बर 78/2003 तारीख निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2004

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदनसिंह गिल , अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.09.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 86/1997 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.1998 एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2003 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट की माता व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 16 के विरूद्व एक दावा बउनवानी रूघाराम बनाम मनकोरी पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की माता के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर रेस्पोडेंट संख्या 1 का दावा डिक्री कर दिया। अपीलांटस की माता मनकोरी के वारिसान अपीलांट है इनकी और से अपील संख्या 136/2004 प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 16 के विरूद्व दावा मांगूराम बनाम जड़ावली प्रस्तुत किया। यह दावा खसरा नम्बर 892,893 बाबत प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा दावा डिक्री कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 137/2004 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट की माता ने पंजिकृत विक्रय पत्र से सहखातेदार से भूमि क्रय की है। अपीलांट की माता को पक्षकार ही संयोजित नही किया गया है। दूसरे दावे में अपीलांट की माता के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट की माता का देहान्त हो चुका है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि बिना कब्जे के घोषणा का अनुतोष देय नही है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वकील के अनुपस्थित रहने पर पक्षकार को नोटिस दिये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2007 (1) पेज 260, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. पेज 1400, आर.बी.जे. 1996 पेज 11 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दोनो अपीले रिमाण्ड की जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट की माता ने पंजिकृत विक्रय पत्र से सहखातेदार से भूमि क्रय की है। अपीलांट की माता को पक्षकार ही संयोजित नही किया गया है। दूसरे दावे में अपीलांट की माता के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट की माता का देहान्त हो चुका है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि बिना कब्जे के घोषणा का अनुतोष देय नही है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वकील के अनुपस्थित रहने पर पक्षकार को नोटिस दिये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं रेस्पोडेंट की सहमती के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर